MADHAV INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, GWALIOR
(A Govt. Aided UGC Autonomous & NAAC Accredited Institute Affiliated to RGPV, Bhopal, M.P.)
Gola ka Mandir, Gwalior (M.P.)- 474 005, INDIA
Ph.: +91-751-2409300, Fax: +91-751-2664684, e-mail: director@mitsgwalior.in, website: www.mitsgwalior.in
WORK IS WORSHIP
Estd. 1957

कमांकःमु.ऑ. / एमएमव्हीवाय / 2019–20 / 03 दिनांकः 01.01.2020
02

सूचना

संचालक तकनीकी शिक्षा म.प्र. के पत्र क्र. एफ 5 / एमएमव्हीवाय / 2017 / 76 भोपाल दिनांक 01 / 08 / 2017 के अनुसार म.प्र. शासन द्वारा 2017–18 से **''मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना''** प्रारंभ की गई है उपसचिव म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग मंत्रालय के संशोधित आदेश कमांकः एफ 5–6 / 2017 / 42 (1) के अनुसार इस योजना हेतु छात्र / छात्राओ को पुनः **सूचित** किया जाता है कि सभी, प्रमाण–पत्रों सहित दिनांक **10 / 01 / 2020** तक आवश्यक रूप से कार्यालय में जमा करे। जो छात्र / छात्राऐ उक्त दिनांक तक अपने आवेदन–पत्र संस्था मे जमा नही करेगे, उन छात्रों को समझा जावेगा, कि उन्हें ''मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना'' की पात्रता नही है।

पात्रता की शर्ते – सत्र 2019–20

नवीनीकरण छात्रों हेतु – नवीनीकरण छात्रों हेतु गत वर्ष की अंकसूची प्रवेश पर्ची एवं फीस विवरण रसीद अपलोड किया जाना अनिवार्य है ।

नवीन छात्रों हेतु –

1. विद्यार्थी म.प्र. का मूल निवासी हो ।
2. जेईई परीक्षा की रैंक 1,50,000 / – के अंतर्गत हो ।
3. प्रवेश परीक्षा (JEE MAINS/NEET/CLAT etc.) की अंकसूची ।
4. विद्यार्थी के पिता / पालक की वार्षिक आय 06 लाख या इससे कम हो ।
5. छात्र के पास आधार कार्ड हो ।
6. छात्र का बैंक खाता जो आधार कार्ड से लिंक हो एवं टी.सी.।
7. विद्यार्थी ने मा.शि.मं. द्वारा वर्ष 2019 में आयोजित 12वीं की परीक्षा 70 प्रतिशत या उससे अधिक अथवा सी.बी.एस.ई व आई. एस.सी.एस.आई. द्वारा वर्ष 2019 अथवा उसके पूर्व आयोजित 12वीं की परीक्षा 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण की हो ।

योजना की अन्य शर्ते –

1 छात्रों को संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठ्यकम को समय सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा ।

2 विद्यार्थी द्वारा राज्य / केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में वह अंतर की राशि प्राप्त कर सकेगा ।

3 म.प्र. के समस्त युवा जो इस योजना के लाभार्थी होगे व उनका परिवार स्वेच्छा से शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत म.प्र. सरकार द्वारा स्थापित फंड में उनके जैसे अन्य छात्रों की सेवा हेतु इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई राशि को वापिस जमा करा सकेंगे ।

योजना में आवेदन की प्रकिया –

1 छात्रो को शैक्षणिंक शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु www.mpscholarshipportal.mp.nic.in/medhavichhatra पर रजिस्ट्रेशन कर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा ।

2 छात्र / छात्राओं को योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पोर्टल पर लॉग इन कर ऑनलाईन आवेदन करना होगा । एवं संस्था में भी जमा करना होगा ।

1.1.2020

(डॉ. आर.के. पण्डित)
निदेशक

प्रतिलिपि –

1 संचालक तकनीकी शिक्षा म.प्र. शासन भोपाल ।
2 प्राचार्य, डॉ. भीमराव अम्बेडकर पॉलिटेक्निक कॉलेज, ग्वालियर ।
3 डीन अकादमिक ।
4 डीन स्टूडेंट वेलफेयर ।
5 समस्त विभागाध्यक्ष ।
6 समस्त सूचना पटल ।
7 निदेशक कार्यालय ।
8 प्रशासनिक अधिकारी ।
9 बेब मैनेजर, एमआईटीएस अपलोड हेतु एवं IMS
10 लेखा शाखा ।
11 प्रवेश शाखा ।
12 संबंधित फाईल ।